संख्या-50/2023/1353/58-1-2023-54-2003/141/2019

प्रेषक,

अनामिका सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2023

विषय: 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु तक के बच्चों हेतु आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत हॉट कुक्ड मील योजना को प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-139/बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0-हॉट कुक्ड फूड/2023-24 दिनांक 30.05.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास योजना एक शीर्ष कार्यक्रम है। भारत सरकार के नवीनतम शासनादेश संख्या-11/4/2021-CD-I(e-95706) दिनांक 01.08.2022 द्वारा ''सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0'' के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के आयु के बच्चों को गर्म पका भोजन दिये जाने के निर्देश हैं।

2. भारत सरकार द्वारा 03 से 06 वर्ष की आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार प्रदान किये जाने हेतु रु0 8.00 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन (माह में 25 दिन) अनुमन्य है। इस धनराशि में से रु0 3.50 प्रति लाभार्थी मॉर्निंग स्नैक्स के रुप में टी0एच0आर0 वितरित किया जा रहा है तथा शेष रु0 4.50 प्रति लाभार्थी हॉट कुक्ड मील योजना पर व्यय किया जाना है।

3. आंगनबाड़ी केन्द्रों में गरम पका भोजन देने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-5/2019/ 172/60-2-19-2/3(2)/08 टीसी, दिनांक 17.01.2019 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्गत किये गये थे। योजना संचालन की व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण उक्त शासनादेश दिनांक 17.01.2019 का वर्तमान में अनुपालन नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप उक्त शासनादेश संख्या-5/2019/172/60-2-19-2/3(2)/08 टीसी दिनांक 17.01.2019 में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

1. को-लोकेटेड (Co-located) आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु गरम पका भोजन योजना के संचालन हेतु व्यवस्था:-

1.1 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत संरचना यथा-किचन, बर्तन एवं गैस आदि की सुविधा न होने के कारण प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थित तथा उक्त विद्यालयों के 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिये हॉट कुक्ड फूड तैयार किये जाने हेतु प्राथमिक विद्यालयों पर पी0एम0 पोषण योजना के लिये उपलब्ध संसाधनों (आवश्यक बर्तन व अन्य सुविधाएँ) का साझा उपयोग किया जायेगा। गर्म पका भोजन की रेसिपी पी०एम० पोषण (एम०डी०एम०) योजना की भाँति रहेगी।

1.2 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय से 200 मीटर की दूरी पर स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों को समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय से सम्बद्ध करते हुये प्राथमिक विद्यालय में ही हॉट कुक्ड मील तैयार किया जायेगा, जिससे अधिकाधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों को योजना से आच्छादित किया जा सके। इन प्राथमिक विद्यालयों से भोजन को सुरक्षित रुप से तैयार करवाकर आंगनबाड़ी केन्द्र तक पहुँचाने व बच्चों को वितरित/परोसने का दायित्व आंगनबाड़ी सहायिका का होगा।

1.3 ऐसी ग्राम सभायें, जहां कि दो उच्च/प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं, ऐसे प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालय से 200 मीटर की दूरी पर स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों का भोजन आंगनबाड़ी केन्द्र के सबसे नजदीक स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में पकाया जायेगा। यदि इस सम्बन्ध में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

1.4 शासनादेश संख्या-5/2019/172/60-2-19-2/3(2)08टीसी,दिनांक 17.01.2019 के प्रस्तर-4.2 के अन्तर्गत हॉट कुक्ड फूड योजना के अन्तर्गत सुविधापूर्वक उपयोग के दृष्टिगत व्यय हेतु निर्धारित धनराशि रु0 4.50 का मदवार विभाजन किया गया था, किन्तु प्रस्तुत धनराशि के शासनादेश के माध्यम से मदवार विभाजन से योजना के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। अत: व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए रु0 4.50 के मदवार विभाजन हेतु निर्णय लेने के लिए अथवा किसी मद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में घटोत्तरी/बढ़ोत्तरी हेतु निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को अधिकृत किया जाता है।

पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में औसतन 100 छात्रों को प्रतिदिन प्रति छात्र 100 ग्राम भोजन की मात्रा तैयार किये जाने पर रसोइया का पारिश्रमिक प्रति लाभार्थी प्रतिदिन धनराशि रु0 0.67 (लगभग) आगणित होता है। उसी के अनुपात में प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर औसतन 40 छात्रों के लिये प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 70 ग्राम भोजन की मात्रा तैयार किये जाने हेतु पी0एम0 पोषण योजना के अन्तर्गत भोजन तैयार करने हेतु अधिकृत रसोइये को आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों हेतु भोजन तैयार करने का पारिश्रमिक तथा इसके भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा निदेशक, पी0एम0 पोषण से विचार-विमर्श कर जारी किया जायेगा। किसी भी दशा में रसोइया का पारिश्रमिक प्रति लाभार्थी प्रतिदिन रु0 0.50 से अधिक देय नहीं होगा।

1.5 को-लोकेटेड (Co-located) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भोजन परोसने तथा बच्चों के खाना खाने (प्लेट, कटोरी, ग्लास, चम्मच आदि) बर्तनों की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित ग्राम सभा/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के जिलाधिकारी का होगा। यदि पूर्व की किसी योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बर्तन आदि उपलब्ध कराये गये हैं, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता को सुनिश्चित करते हुए ही नये बर्तनों के क्रय की कार्यवाही क्रय/वित्तीय नियमों का पालन करते हुए की जायेगी। किसी भी स्थिति में अनावश्यक क्रय की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

1.6 हॉट कुक्ड मील योजना के लिए भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न का उठान व परिवहन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जायेगा। पी0एम0 पोषण योजना की भाँति रियायती दरों (कोटेदार का मार्जिन सहित कुल रु0 75.00 प्रति कुन्तल) पर खाद्यान्न का परिवहन व हैण्डलिंग कराने की व्यवस्था तथा परिवहन व हैण्डलिंग पर आने वाले व्यय का भुगतान बिल के आधार पर खाद्य एवं रसद विभाग को किया जायेगा। कोटेदारों के माध्यम से ग्राम प्रधान/सभासद/आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा खाद्यान्न संयुक्त रूप से प्राप्त कर आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध कराया जायेगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की जनपदवार खाद्यान्न की आवश्यकता का निर्धारण निदेशक, बाल विकास सेवा एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुष्टाहार विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा। खाद्य तथा रसद विभाग को भारत सरकार से प्राप्त होने वाले रियायती दर के खाद्यान्न व परिवहन का भुगतान त्रैमासिक रूप से अग्रिम के रूप में किया जायेगा।

1.7 जनपदों में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-6/2015/541/79-6-2015, दिनांक 13.08.2015 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। अत: बेसिक शिक्षा विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 13.08.2015 में वर्णित व्यवस्था में जिन विद्यालयों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पी0एम0 पोषण योजना संचालित हो रही है, ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों में समरूप व्यवस्था उक्त शासनादेश में निर्धारित शर्तों के अनुरूप हॉट कुक्ड मील दिये जाने हेतु भी अपनाया जायेगा। उक्त प्रयोजन हेतु ऐसी संस्थाओं को नियमानुसार भुगतान की व्यवस्था का निर्धारण निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के स्तर से किया जायेगा व भुगतान वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जायेगा।

2. नॉन को-लोकेटेड (Non Co-located) आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु गरम पका भोजन योजना के संचालन हेतु व्यवस्था:-

2.1 शासनादेश संख्या-5/2019/172/60-2-19-2/3(2)08टीसी, दिनांक 17.01.2019 के प्रस्तर-5 के 5.2, 5.3 में 21 जनपदों, जहॉ कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा मिड डे मील की आपूर्ति की जा रही थी, हेतु हॉट कुक्ड मील का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों की माताओं की स्वयं सहायता समूहों का गठन जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में करते हुये भोजन वितरण किये जाने के निर्देश थे। समय से इन स्वयं सहायता समूहों का गठन न होने के कारण 21 जनपदों में भी योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकी।

अत: ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जो प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित नहीं हो रहे हैं तथा जिन्हें नॉन को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, हेतु हॉट कुक्ड मील तैयार कर लाभार्थियों को वितरित किये जाने की पृथक् व्यवस्था की जा रही है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की गाइडलाइन के अनुसार आंगनबाड़ी सहायिका का कार्य एवं दायित्व लाभार्थियों के लिये भोजन पकाने व परोसने का है, जिसके लिए उन्हें मानदेय प्रदान किया जाता है। अत: नॉन को-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों हेतु भोजन तैयार करने व परोसने का उत्तरदायित्व आंगनबाड़ी सहायिका का होगा।

2.2 अम्ब्रेला आईसीडीएस कार्यक्रम के 21 जनपदों के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 24710 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शासनादेश संख्या-5/2019/172/60-2-19-2/3(2)08टीसी, दिनांक 17.01.2019 के अन्तर्गत शबरी संकल्प योजना के अभियान से प्रति केन्द्र रु0 6012.00 की दर से कुल धनराशि रु0 14,85.56 लाख (रुपये चौदह करोड़ पचासी लाख छप्पन हजार मात्र) का व्ययभार अनुमोदित किया गया था, किन्तु ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भोजन तैयार करने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की जा सकी थीं।

योजना में नॉन को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में गरम पका हुआ भोजन दिये जाने की व्यवस्था को लागू किये जाने की व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि उक्त केन्द्रों पर शासनादेश संख्या-5/2019/172/60-2-19-2/3(2)08टीसी, दिनांक 17.01.2019 के प्रस्तर-5.4.1 में निर्दिष्ट बर्तन इत्यादि की मात्रा को समान रखते हुए गरम पका हुआ भोजन देने के प्रयोजन हेतु खाना पकाने व खाना खाने/खिलाने वाले बर्तन, ईंधन गैस हेतु व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय नगर निकायों एवं ग्राम सभाओं द्वारा उपलब्ध करायी जाय, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा भोजन तैयार कर बच्चों को वितरित किया जा सके। अत: शासनादेश संख्या-5/2019/172/60-2-19-2/3(2)08टीसी, दिनांक 17.01.2019 के प्रस्तर-5.4.1 में निर्धारित बर्तनों की मात्रा को समान रखते हुए नॉन को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में भोजन पकाने हेतु गैस चूल्हा, सिलेण्डर, रेगुलेटर इत्यादि तथा बर्तन की प्रारम्भिक व्यवस्था ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ग्राम सभा निधि, ओ0एस0आर0 अथवा अन्य वित्तीय स्रोत, जो ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध हो, से तथा नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम के पास उपलब्ध वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं निकाय निधि से अथवा अन्य वित्तीय स्रोतों से की जायेगी। सम्बन्धित ग्राम सभाओं/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम के माध्यम से नॉन को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आवश्यकता के अनुरूप गैस (चूल्हा, सिलेण्डर, रेगुलेटर) तथा बर्तनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी अधिकृत किये जाते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्व में यदि खाना पकाने हेतु गैस चूल्हा, सिलेण्डर, रेगुलेटर इत्यादि तथा बर्तन क्रय किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गये हों, तो ऐसे स्थानों पर अनावश्यक रूप से सामग्री क्रय नहीं की जाय। ईंधन पर प्रतिमाह आने वाले व्यय का निर्धारण रु0 4.50 के मदवार विभाजन में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा किया जायेगा।

3. आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों को गरम पका भोजन उपलब्ध कराने हेतु अन्य व्यवस्था:-

3.1 हॉट कुक्ड मील योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु निदेशालय स्तर से जिला कार्यक्रम अधिकारियों के इम्प्लीमेन्टिंग खाते खुलवाये जायेंगे। हॉट कुक्ड मील की धनराशि के लिये केन्द्रवार "आईसीडीएस केन्द्र-हॉट कुक्ड फूड निधि" के नाम से ग्राम पंचायत स्तर तथा नगरीय क्षेत्रों में पृथक् रूप से बैंक खाता खोला जायेगा, जिसका संचालन ग्राम प्रधान(ग्रामीण क्षेत्रों)/सभासद(शहरी क्षेत्रों) एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। योजना को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए तथा व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि ग्राम सभाओं को अग्रिम धनराशि का हस्तान्तरण "आईसीडीएस केन्द्र-हॉट कुक्ड फूड निधि" (संयुक्त खाता) में समय से किया जाए। इस हेतु दो माह तक की एकमुश्त धनराशि भी निर्गत की जा सकेगी। धनराशि का नियमानुसार उपभोग सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निदेशालय तथा संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी का होगा।

3.2 भोजन पकाने हेतु समस्त सामग्री के क्रय की कार्यवाही मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की भांति विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस0एम0सी0) के माध्यम से किया जायेगा। इसके उपरान्त भी यदि कार्यात्मक आवश्यकता अनुभव की जाती है, तो निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 से समन्वय स्थापित कर योजना को कार्यान्वित करने हेतु अग्रिम दिशा-निर्देश/आदेश जारी करेंगे।

3.3 आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा 03 से 06 आयु वर्ग के लाभार्थी के 02 अभिभावक को विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस0एम0सी0) में सदस्य के रुप में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी तथा शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में प्राथमिक विद्यालय की रसोई का प्रयोग किये जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3.4 हॉट कुक्ड फूड योजना के संचालन के संबंध में आंगनबाड़ी केन्द्रों में मध्यावकाश का समय विद्यालय हेतु निर्धारित मध्यावकाश के समान ही होगा। यदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता पायी जाती है, तो परिवर्तन किये जाने हेतु निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को अधिकृत किया जाता है।

3.5 विद्यालय में ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश की अवधि में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में योजना से आच्छादित ग्रामों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में भोजन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा तैयार किया जायेगा। आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा विद्यालय/रसोईघर में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किये जाने की दशा में समस्त उपकरणों/बर्तनों की सुरक्षा एवं टूट-फूट की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सहायिका की होगी।

3.6 भोजन पकाने व बच्चों को खिलाने की प्रक्रिया में पी0एम0 पोषण रसोईया एवं आंगनबाड़ी सहायिका/कार्यकत्री के स्पष्ट रूप से पृथक-पृथक दायित्व निर्धारित करने एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व भोजन की गुणवत्ता निश्चित करने/चखने की व्यवस्था के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया, योजना के वित्तीय प्रबन्धन (यथा-लेखा-जोखा, एम0आई0एस0आदि) की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को अधिकृत किया जाता है।

4. अनुश्रवण

योजना के अनुश्रवण हेतु त्रिस्तरीय टास्क फोर्स का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

(1) राज्य स्तरीय टास्क फोर्स

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	-अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग	-सदस्य
3. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग	-सदस्य
4. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग	-सदस्य
5. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग	-सदस्य
6. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश	- सदस्य
7. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश	- सदस्य सचिव

उक्त टास्क फोर्स समिति की बैठक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आवश्यकतानुसार आयोजित करायी जायेगी। बैठक आहूत कराने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) जनपद स्तरीय टास्क फोर्स जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जायेगी। टास्क फोर्स के अन्य सदस्यों को जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी टास्क फोर्स के सदस्य सचिव के रुप में कार्य करेंगे एवं टास्क फोर्स की बैठक प्रतिमाह आहूत कराने का दायित्व जिला कार्यक्रम अधिकारी का होगा। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(3) योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न (गेहूं व चावल) तथा लाभार्थियों को पके भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जायेगी: -

(i) आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) की मात्रा का अंकन आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध स्टाक पंजिका में किया जायेगा, जिसका सत्यापन ग्राम प्रधान/सदस्य, सभासद/मातृ समिति की अध्यक्ष/सदस्य में से किन्हीं दो के द्वारा किया जायेगा।

(ii) निदेशालय स्तर से नामित नोडल अधिकारियों के द्वारा हर माह में जनपदों के निरीक्षण किये जायेंगे। निरीक्षण के समय उनके द्वारा हॉट कुक्ड मील लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने का भौतिक सत्यापन किया जायेगा तथा योजना की गहन समीक्षा कर अपनी आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) अन्तर्जनपदीय निरीक्षण के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ ही निकटवर्ती जनपद में हॉट कुक्ड मील योजना के संचालन का भौतिक सत्यापन आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।

(iv) जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय मुख्य सेविका द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करते समय हॉट कुक्ड मील योजना के संचालन का विशेष रूप से भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

(v) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के रसोईये द्वारा भोजन तैयार करते समय उसकी स्वच्छता एवं पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखा जायेगा तथा पूरी सुरक्षा एवं सफाई के साथ लाभार्थियों को आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा भोजन वितरित किया जायेगा। भोजन वितरण के समय ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य/मातृ समिति की अध्यक्षा/सदस्य अथवा ग्राम सभा के अन्य कोई गणमान्य व्यक्ति, जिसे जिलाधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा जाय, भोजन वितरण के समय उपस्थित होने हेतु नामित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जा सकेगा, जिससे योजना का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) समय से हो सके व योजना सफलतापूर्वक लागू की जा सके।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

संख्या-50/2023/1353(1)/58-1-2023-54-2003/141/2019 दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पंचायती राज/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/ ग्राम्य विकास/खाद्य एवं रसद/नगर विकास विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग/पी0एम0पोषण(मध्यान्ह भोजन) प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।